रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09102025-266806
SG-DL-E-09102025-266806

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]	दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2025/आश्विन 14, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 268
No. 44]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947	[N. C. T. D. No. 268

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालयः नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 27 सितम्बर, 2025

सं. 79/ नियम/डीएचसी.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 129 तथा दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, एतद्वारा "दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018" में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

संशोधन

दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018 के अध्याय IV में विद्यमान नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"10. अन्तर्वर्ती आवेदनों की फाइल (वाद अभिलेख का भाग II) - (i) अन्तर्वर्ती आवेदनों की फाइल निम्नलिखित क्रम में रखी जाएगी-

(क) अनुक्रमणिका; तथा

(ख) सभी अन्तर्वर्ती आवेदन(नों), उनके तत्संबंधी उत्तर(रों) एवं उनके तत्संबंधी प्रत्युत्तर(रों)।

(ग) किसी अन्तर्वर्ती आवेदन / आवेदन के उत्तर या उसके प्रत्युत्तर के समर्थन में दस्तावेज(जों)।

(घ) संशोधित अन्तर्वर्ती आवेदन / उत्तर / प्रत्युत्तर के मामले में नियम 9, यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तर्वर्ती आवेदन / उत्तर / प्रत्युत्तर पर लागू होगा।

(ii) किसी भी अंतर्वर्ती आवेदन के समर्थन में जिन दस्तावेज(जों) पर भरोसा जताया है, उन्हें अंतर्वर्ती आवेदन के साथ एक पृथक अनुक्रमणिका के साथ दायर किया जाएगा तथा अंतर्वर्ती आवेदनों की फाइल में रखा जाएगा। हालांकि, न्यायालय उक्त दस्तावेजों को दस्तावेज फाइल अथवा वाद अभिलेख के भाग III में रखने का निर्देश दे सकता है।"

टिप्पणी : यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

न्यायालय के आदेशानुसार
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 27th September, 2025

No. 79/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 129 of the Code of Civil Procedure, 1908 and Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendment in the "Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018" :-

AMENDMENT

THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING RULE 10 OF CHAPTER IV OF DELHI HIGH COURT (ORIGINAL SIDE) RULES, 2018 :-

"**10. Interlocutory applications' file (Part II of the suit record.)**-(i) The Interlocutory applications' file shall be kept in the following order—

(a) index; and

(b) all interlocutory application(s), their respective reply(s) and their respective rejoinder(s).

(c) documents in support of any interlocutory application/reply to the application or rejoinder thereto.

(d) Rule 9 shall in case of amended interlocutory application/ reply/ rejoinder apply mutatis mutandis to interlocutory application/ reply/ rejoinder.

(ii) Any document(s) relied upon, in support of any interlocutory application, shall be filed with a separate index along with the interlocutory application and will be placed in the Interlocutory applications' file. The Court may, however, direct the said documents to be kept in the documents file or Part III of the suit record."

NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of the Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA